

जज अदालत उपर्युक्त अधिकारी

मुकाम डेहली


भोगेश कुमार पुत्र जीधरराव सेनी

बनाम नरमीलदा (मृतका) डेहली

किस्म मुकदमा 910-पत्र शाहसुदिकारि डुरुली मु. नं. 37 सन 2011
क्र. 136 LR सि. 1

37

सन 2011

तारीख क्रम	हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील में जारी हुए
19/3/21	<p>आज पर पाषाण-पत्र कांड जाच नरमीलदा डेहली के पत्रों के प्राप्त होने पर काहेरा के सिद्धा जाकर डावलोकक सिद्धा जाया। प्राणी का कथन है कि जाम जीवाकाली बाणी पर मण्डल बुडारा के खेत खालास 56 में रकम नं 221, 222, 224, 225, 247 में प्राणी का नाम भोगेश दत्त है जो जलत प्राणी का शरीर नाम भोगेश कुमार है जो शाहसुदिकारि के डुरुली का जाम का निदेश सिद्धा जाया। पत्र-पत्र की जाच रिपोर्ट नरमीलदा डेहली के पास जाते पर नरमीलदा के आपनी जाच रिपोर्ट के आधारे शाहसुदिकारि जीधरराव बाणी के भोगेश कुमार पुत्र जीधरराव जाति सेनी द्वारा शाहसुदिकारि जमावेदी शकत 2074-2077 के खालास 56 क्रि. 05 रकम 3-2400 के भोगेश दत्त जीधरराव सिद्धा 1/20 भाति भाली दत्त सिद्धा है। प्राणी भोगेश के ह्याठ पर भोगेश कुमार दत्त का जाम का निदेश सिद्धा जाया 215 की रिपोर्ट के आधारे कारे उरु प्रेष करि है। उरुके पत्र-पत्र में वसिह नम्बों व पत्र-पत्र के जलजंठ दस्तावेजों का ध्यान प्रकत डावलोकक सिद्धा जाया। आधारे कारे भोगेश कुमार दत्त है। अन्य कोई दोस दस्तावेज पेश नही सिद्धा जाये। प्राणी का पर पत्र-पत्र पोषकीक नही है। प्रमाणे धारा-136 LR सि. 1 के कपल लिपि सिद्धा मुदिनी मुदिनी भी जा मकली पत्र-पत्र प्राणी का धारा 136 के बसोकी के नही आते पर प्राणी का पर पत्र-पत्र शीतल पर खारिफिक जायते। पत्र-पत्र दत्त अहिले होकर फिल सुमा हो लो कांड-नरमीलदा दाडिला दत्त है। काहेरा मुकामा जाया।</p>	

उपर्युक्त अधिकारी